न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 42/2016

आरसीएमएस नं. 2016/0141

1. औमप्रकाश
2. राजाराम

पुत्रगण श्री भादरराम जाति चोटिया निवासी सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ। ----अपीलांट

बनाम

1. धर्मपाल पि0 मु0 स्व0 श्री रतीराम पुत्र स्व0 श्री खींयाराम जाति जाट (बाजिया) निवासी साधू के डेरे के पास, वार्ड नं. 1 सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. खीयांराम पुत्र स्व0 श्री चेतनराम जाट (बाजिया) निवासी सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ (फौत दिनांक 05.05.2021)

2/1 महावीर पुत्र स्व0 श्री खीयांराम जाति जाट (बाजिया) (बस अड्डा पर होटल) तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

2/2 राकेश पुत्र स्व0 श्री खींयाराम जाति जाट (बाजिया) निवासी संगरिया, भगतपुरा रोड़ नहर के पास कॉलोनी में, तहसील संगरिया जिला हनमानगढ।

2/3 शारदा पुत्री स्व0 श्री खींयाराम पत्नी श्री चुन्नीराम जाति जाट (थाकन) निवासी लोढसर (बायला) तहसील सुजानगढ जिला चुरू, राजस्थान।

2/4 सोमा पुत्री स्व0 श्री खींयाराम पत्नी श्री हरलाल जाति जाट (थाकन) निवासी लोढसर (बायला) तहसील सुजानगढ जिला चुरू, राजस्थान।

2/5 कैलाश पुत्री स्व0 श्री खींयाराम पत्नी श्री तिलोकाराम जाति जाट (थाकन) निवासी लोढसर (बायला) तहसील सुजानगढ जिला चुरू,राजस्थान।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ, दिनांक 08.02.2016

प्र. सं. 233/2014

राजस्व अपील प्राधिकारी

हनुमानगढ़

उपस्थितिः--

श्री राजेन्द्र कुमार भुंवाल, अभिभाषक अपीलांट

श्री लालचन्द वर्मा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1

निर्णय दिनांक 09.12.22

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि चक 15 एसटीजी–ए तहसील हनुमानगढ के प्रश्नगत 18 बीघा कृषि भूमि खेताराम--चतराराम पिसरान गंगाराम 1/2 हिस्सा व चेतनराम पुत्र रूपाराम 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व अभिलेख की चेतनराम के हिस्सा की 9 बीघा भूमि उनके छः पुत्रों में औद हुई। प्रत्येक पुत्र को 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि प्राप्त हुई। प्रश्नगत भूमि का गंगाराम व चेतनाम के मध्य अरसा कदीम से बंटवारा हुआ है और चतराराम ने अपने हिस्सा की 9 बीघा भूमि बशमूल दिगर भूमि का बैयनामा दिनांक 05.07.1996 कृपाल सिंह व हरपाल सिंह पिसरान चन्द सिंह को विक्रय की हुई है, लेकिन इस बैयनामा के आधार पर कृपालसिंह व हरपालसिह के नाम 9 बीघा का इन्तकाल दर्ज नही होकर केवल चतराराम के 1/4 हिस्सा की हद तक ही राजस्व अभिलेख में इन्तकाल हुआ तथा खेताराम पुत्र गंगाराम का 1/4 हिस्सा यथावत दर्ज रहा, जबकि घरू बंटवारा के मुताबिक खाता में खेताराम पुत्र गंगाराम का कोइ हक व हिस्सा शेष नही रहा था। अप्रार्थी सं0 1/अपीलाण्ट सं0 1 ने हनुमान पुत्र दौलतराम से उसके हक हिससा की 0.179 है0 भूमि खरीद की हुई है तथा रेस्पोडेण्ट्स सं0 2 ने श्री कृष्ण पुत्र चेतन राम के हक व हिस्सा की 0.358 है0 भूमि खरीद की हुई हैं। उक्त दोनों बैयनामे साझे खाते में से हुई है अप्रार्थीगण इन बैयनामों की आड़ में कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की प. नं. 82/302 के किला नं. 11 व 12 में जबरन हस्तक्षेप करने की धमकी दे रहे हैं। अप्रार्थीगण को मुताबिक घरू बंटवारा प्राप्त एवं कब्जा काश्त की वर्णित भूमि में दखल अन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। रेस्पोडेण्ट्स ने अनुतोष स्वरूप इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा की अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे उन्हें जबरन बेदखल नहीं करें। अपीलाट जवाब प्रार्थना–पत्र पेश

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

करते हुए कथन कियाकि प्रश्नगत भूमि उनकी खरीदशुदा है एवं कब्जा काश्त में है। अप्रार्थीगण/रेस्पोडेण्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है। प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय कतई गलत व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्तनीय है। रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कृष्ण व हनुमान द्वारा वर्णित कृषि भूकि 0.358 है0 व 0.179 है0 अपीलाण्टस को विक्रय किया जाना और कि अपीलाण्ट्स का संयुक्त खातदारान होना स्वीकार किया है। संयुक्त खाता की कृषि भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सह खातेदार का कब्जा विधि दृष्टि से माना जाता है। किसी सह खातेदार के विरूद्ध कानूनन निषधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अपीलाट ने श्री किशन पुत्र चेतनराम द्वारा निष्पादित व पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 18.06.2001 प्रस्तुत कर उक्त विक्रेता द्वारा अपीलाण्ट्स सं0 2 को संयुक्त खाता में प. नं. 82/302 का किला नं. 11 व प0 नं0 81/302 के किला नं. 16 में 0.105 है0 का कब्जा दिया जाना बखूबी साबित किया है। रेस्पोडेण्ट्स की और से प. नं. 82/302 के किला नं. 11 पर अपना भौतिक रूप से कब्जा होने के संबंध में किसी कदर कोई दस्तावेजी साक्ष्य अन्यथा साक्ष्य प्रस्तुत नही की है। रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु साबित नहीं किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त कर धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2013 (2) आरआरटी पेज 829, 2006 आरआरटी पेज 36, आरआरडी 2009 (1) पेज 25 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 15 एसटीजी–ए तहसील हनुमानगढ के प्रश्नगत 18 बीघा कृषि भूमि खेताराम–चतराराम पिसरान गंगाराम 1/2 हिस्सा व चेतनराम पुत्र रूपाराम 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व अभिलेख की चेतनराम के हिस्सा की 9 बीघा भूमि उनके छः पुत्रों में औद हुई।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रत्येक पुत्र को 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि प्राप्त हुई। प्रश्नगत भूमि का गंगाराम व चेतनराम के मध्य अरसा कदीम से बंटवारा हुआ है और चतराराम ने अपने हिस्सा की 9 बीघा भूमि बशमूल दिगर भूमि का बैयनामा दिनांक 05.07.1996 कृपाल सिंह व हरपाल सिंह पिसरान चन्द सिंह को विक्रय की हुई है, लेकिन इस बैयनामा के आधार पर कृपालसिंह व हरपालसिह के नाम 9 बीघा का इन्तकाल दर्ज नही होकर केवल चतराराम के 1/4 हिस्सा की हद तक ही राजस्व अभिलेख में इन्तकाल हुआ तथा खेताराम पुत्र गंगाराम का 1/4 हिस्सा यथावत दर्ज रहा जबकि घरू बंटवारा के मुताबिक खाता में खेताराम पुत्र गंगाराम का कोइ हक व हिस्सा शेष नही रहा था। अप्रार्थी सं0 1 अपीलाण्ट सं0 1 ने हनुमान पुत्र दौलतराम से उसके हक हिस्सा की 0.179 है0 भूमि खरीद की हुइ है तो रेस्पोडेण्ट्स सं0 2 ने श्री कृष्ण पुत्र चेतन राम के हक व हिस्सा की 0.358 है0 भूमि खरीद की हुई हैं। उक्त दोनों बैयनामे साझे खाते में से हुई है। अप्रार्थीगण इस बैयनामों की आड़ में कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की प. नं. 82/302 के किला नं. 11 व 12 में जबरन हस्तक्षेप करने की धमकी दे रहे हैं। अप्रार्थीगण को मुताबिक घरू बंटवारा प्राप्त एवं कब्जा काश्त की वर्णित भूमि में दखल अन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. बहस में आये तथ्यों के अनुसार उभयपक्ष के मध्य प्रकरण में हक अधिकारों के संबंध में विवाद है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। दावें में जवाब दावा आ चुका है तथा तनकीयात की स्तर पर दावा विचाराधीन है। जिसमें उभयपक्ष की सुनवाई कर दावे का निस्तारण तनकीवार किया जाना है। उभयपक्ष के हक अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में ही तय होना है। उभयपक्षों के हक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए तथा वाद की बहुलता को रोकने के लिए प्रकरण में स्थगन आदेश जारी रहना उचित है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के द्वारा स्थगन आदेश को ताफैसला वाद कन्फर्म किया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

7. उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती हैतथा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2016 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय मूल वाद का निस्तारण अधीकतम तीन माह में करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9.12.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

9/12/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़